

संख्या 15/1/2020-पब्लिक

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग

* * *

नॉर्थ ब्लॉक ,नई दिल्ली -1
दिनांक 23 जुलाई, 2020

सेवा में ,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट नियमों के कड़ाई से पालन के सम्बन्ध में।

- - -

महोदय/महोदया,


मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए ,इसे सम्मान की स्थिति मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक सार्वभौमिक लगाव और आदर तथा वफादारी होती है। तथापि, राष्ट्रीय झंडे के संप्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, अभ्यास तथा परंपराओं के संबंध में जनता के साथ-साथ भारत सरकार के संगठनों/एजेंसियों में भी जागरूकता का अभाव देखा गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम ,1971 तथा भारतीय झंडा संहिता ,2002 जो राष्ट्रीय ध्वज के संप्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं, में से प्रत्येक की एक प्रति ,उक्त अधिनियम तथा झंडा संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों के कड़ाई से अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न की जाती है (राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम ,1971 तथा भारतीय झंडा संहिता ,2002 इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर भी उपलब्ध हैं)। आपसे यह अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में वृहद जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं तथा इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से वृहद प्रचार किया जाए।

2. इसके अलावा इस मंत्रालय के संज्ञान में यह लाया गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर कागज के झंडों के स्थान पर प्लास्टिक के झंडों का प्रयोग भी किया जा रहा है। चूंकि ,प्लास्टिक से बने झंडे कागज के समान जैविक रूप से अपघट्य (bio-degradable) नहीं होते हैं ,ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं और प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का सम्मानपूर्वक उचित निपटान सुनिश्चित करना भी एक व्यावहारिक समस्या है। अतः, आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ,सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर भारतीय झंडा

संहिता, 2002 के प्रावधान के अनुरूप, जनता द्वारा केवल कागज से बने झंडों का ही प्रयोग किया जाए तथा समारोह के पूरा होने के पश्चात ऐसे कागज के झंडों को न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाय। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाय। अतः, आपसे यह भी अनुरोध है कि प्लास्टिक से बने झंडे का उपयोग न करने संबंधी व्यापक प्रचार इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के साथ किया जाए।

संलग्नक -यथोपरि

भवदीय,



23/07/2020
(दीपक कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23092421

प्रति प्रेषित -:

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
10. सभी उच्च न्यायालय।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
16. 5 अतिरिक्त प्रतियां।


23/07/2020
(दीपक कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23092421

भारतीय झंडा संहिता

2002



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली

भारतीय झंडा संहिता

भारत का राष्ट्रीय झंडा, भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। पिछले पांच दशकों में, सशस्त्र बलों के कार्मिकों सहित अनेक लोगों ने इस तिरंगे को फहराते रहने का गौरव प्रदान करने के लिए स्वेच्छापूर्वक अपने जीवन का बलिदान दिया है।

राष्ट्रीय झंडे के लिए सभी के मन में प्रेम, आदर और निष्ठा है। फिर भी, राष्ट्रीय झंडे को फहराने के बारे में कानून, प्रथाओं तथा परम्पराओं की जानकारी का अभाव देखने में आया है। यह अभाव न केवल लोगों में बल्कि सरकारी संगठनों/एजेंसियों में भी पाया गया है। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए गैर-सांविधिक निर्देशों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन, संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का सं० 12) और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (1971 का सं० 69) के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होता है। भारतीय झंडा संहिता, 2002 में संबंधित सभी के मार्गदर्शन और लाभ के लिए ऐसे सभी कानूनों, प्रथाओं, परम्पराओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास है।

सुविधा के लिए भारतीय झंडा संहिता, 2002 को तीन भागों में बांटा गया है। संहिता के भाग I में राष्ट्रीय झंडे के बारे में सामान्य विवरण है। संहिता के भाग II में आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडे को फहराने संबंधी विवरण हैं। संहिता के भाग III का संबंध केन्द्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों एवं एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडे को फहराने से है।

भारतीय झंडा संहिता, 2002, दिनांक 26 जनवरी, 2002 से प्रभावी होगी और यह 'झंडा संहिता - भारत' के वर्तमान स्वरूप का अधिक्रमण करती है।

भाग-I

सामान्य

1.1 राष्ट्रीय झंडे में तीन रंगों की पट्टियां होंगी जिसमें समान चौड़ाई वाली तीन आयताकार पट्टियां या छोटी पट्टियां होंगी। सबसे ऊपर की भारतीय केसरी रंग की पट्टी होगी और सबसे नीचे की पट्टी भारतीय हरे रंग की। बीच की पट्टी सफेद रंग की होगी। जिसके बीच में समान अंतर पर 24 धारियों वाले नेवी ब्लू रंग के अशोक चक्र का एक डिजाइन होगा। अशोक चक्र अधिमान्यतः स्क्रीन प्रिंटेड या अन्यथा छपा हुआ या स्टेंसिल किया हुआ या उचित रूप से कढ़ा हुआ होगा और सफेद पट्टी के केन्द्र में झंडे के दोनों से स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा।

1.2 भारत का राष्ट्रीय झंडा हाथ से कता हुआ और हाथ से बनाए गए ऊनी/सूती/सिल्क खादी कपड़े से बना होगा।

1.3 राष्ट्रीय झंडा आकार में आयताकार होगा। झंडे की लंबाई और ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होगा।

1.4 राष्ट्रीय झंडे के मानक आकार निम्नलिखित हैं :-

झंडे का आकार वर्ग

मिलीमीटरों में माप

| | | | |
|---|------|---|------|
| 1 | 6300 | X | 4200 |
| 2 | 3600 | X | 2400 |
| 3 | 2700 | X | 1800 |
| 4 | 1800 | X | 1200 |
| 5 | 1350 | X | 900 |
| 6 | 900 | X | 600 |
| 7 | 450 | X | 300 |
| 8 | 225 | X | 150 |
| 9 | 150 | X | 100 |

1.5 फहराने के लिए उपयुक्त आकार के झंडे का चुनाव करना चाहिए। 450 X 300 मिलीमीटर आकार के झंडे अतिगणमान्य व्यक्तियों की उड़ान वाले विमानों के लिये, 225 X 150 मिलीमीटर आकार के झंडे मोटर कारों और 150 X 100 मिलीमीटर आकार के झंडे मेजों के लिए झंडे हैं।

भाग-II

आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाना/प्रदर्शन/प्रयोग

धारा I

2.1 आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडे के प्रदर्शन पर संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950* और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971** तथा इस विषय पर अधिनियमित किसी अन्य विधान में दी गई शर्तों के अलावा अन्य कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उपरोक्त अधिनियमों में दिए गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए -

* संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950

धारा 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) 'संप्रतीक' का अर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी चिह्न, मोहर, झंडा, तमगा, कोट-ऑफ-आर्म्स या चित्रात्मक स्वरूप से है ;

धारा 3. इस समय लागू किसी भी कानून में, कोई बात होते हुए भी कोई भी व्यक्ति, केन्द्र सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी, जिसे केन्द्र सरकार की ओर से प्राधिकृत किया जाए, की पूर्व अनुमति में बिना केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा-निर्धारित ऐसे मामलों और ऐसी परिस्थितियों के सिवाय, किसी व्यापार, कारोबार, आजीविका या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए, किसी पेटेंट के हक में या डिजाइन के किसी ट्रेड मार्क में, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी नाम और चिह्न या उससे मिलती-जुलती किसी नकल के प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग करना जारी नहीं रखेगा।

नोट : इस अधिनियम की अनुसूची में भारतीय राष्ट्रीय झंडे को एक संप्रतीक के रूप में निर्धारित किया गया है।

- (i) संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 का उल्लंघन करते हुए झंडे का प्रयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।
- (ii) किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा।
- (iii) सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुरूप सार्वजनिक भवनों पर उन अवसरों को छोड़ कर जिन के लिए सरकार ने झंडे को आधा झुका कर फहराने के अनुदेश जारी कर रखे हैं, शेष अवसरों पर झंडे को आधा झुका कर नहीं फहराया जाएगा।
- (iv) आम तौर पर किए जाने वाले मृतक संस्कारों सहित झंडे को किसी भी रूप में लपेटने के काम में नहीं लाया जाएगा।

** राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971

धारा 2: कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर जो सार्वजनिक रूप से दृष्टिगोचर हो, भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, कुचलता है या अन्यथा (मौखिक या लिखित शब्दों में अथवा कृत्यों द्वारा) अपमान करता है उसे 3 वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1 - भारत के संविधान में संशोधन करने या विधिसम्मत तरीके से भारतीय राष्ट्रीय झंडे में परिवर्तन करने की दृष्टि से सरकार के किसी उपाय की आलोचना या अस्वीकृति व्यक्त करते हुए की गई कोई टिप्पणी इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं बनती।"

स्पष्टीकरण 2 - 'भारतीय राष्ट्रीय झंडे' की अभिव्यक्ति में कोई भी तस्वीर, पेंटिंग, ड्राईंग या फोटोग्राफ या भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग या भागों का अन्य स्पष्ट चित्रण जो किसी पदार्थ से बना हो या पदार्थ पर दर्शाया गया हो, शामिल है।

स्पष्टीकरण 3 - 'सार्वजनिक स्थान' की अभिव्यक्ति के अर्थ में ऐसा कोई स्थान जो जनता द्वारा उपयोग के लिए हो अथवा जहाँ जनता की पहुंच हो और इसमें कोई भी सार्वजनिक वाहन शामिल है।

- (v) झंडे का प्रयोग न तो किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के किसी भाग के रूप में किया जाएगा और न ही इसे तकियों, रूमालों, नेपकिनों अथवा किसी ड्रेस सामग्री पर कढ़ाई अथवा मुद्रित किया जाएगा ;
- (vi) झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे ;
- (vii) झंडे को किसी वस्तु के लेने, देने, पकड़ने अथवा ले जाने के आधार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा ;
- लेकिन विशेष अवसरों और राष्ट्रीय दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर समारोहों के एक भाग के रूप में झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें गुलाब की पंखुड़ियां रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
- (viii) किसी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर झंडे को विशेषतया और अलग से प्रदर्शित किया जाएगा और इसका प्रयोग प्रतिमा अथवा स्मारक को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा ;
- (ix) झंडे का प्रयोग न तो वक्ता की मेज को ढकने के लिए और न ही वक्ता में मंच के ऊपर लपेटने के लिए किया जाएगा ;
- (x) झंडे को जानबूझकर जमीन अथवा फर्श को छूने अथवा पानी में डूबने नहीं दिया जाएगा ;

- (xi) झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव अथवा वायुयान के ऊपर, बगल अथवा पीछे से ढकने के काम में नहीं लाया जाएगा ;
- (xii) झंडे का प्रयोग इमारत को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा; और
- (xiii) झंडे को जानबूझकर "केसरिया" रंग को नीचे प्रदर्शित करते हुए नहीं फहराया जाएगा ;

2.2 साधारण जनता, किसी गैर-सरकारी संगठन अथवा विद्यालय के सदस्य राष्ट्रीय झंडे को सभी दिवसों और अवसरों, समारोहों अथवा अन्य अवसरों पर फहरा/प्रदर्शित कर सकते हैं। सम्मान व प्रतिष्ठा के अनुरूप राष्ट्रीय झंडे को -

- (i) जब भी कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो उसकी स्थिति सम्मानपूर्ण और विशिष्ट होनी चाहिए।
- (ii) क्षतिग्रस्त अथवा अस्त-व्यस्त झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए।
- (iii) झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडों के साथ एक ही समय में एक ही ध्वज-दंड से नहीं फहराया जाएगा ;
- (iv) संहिता के भाग-III की धारा -IX में निहित उपबन्धों के सिवाय झंडे को किसी वाहन पर नहीं फहराया जाएगा ;
- (v) यदि झंडा किसी वक्ता के सभा मंच पर फहराया जाता है, तो उसे इस प्रकार फहराया जाना चाहिए कि जब वक्ता श्रोतागण की ओर मुँह करे तो झंडा उनके दाहिनी ओर रहे अथवा झंडे को दीवार के साथ पट्ट स्थिति में वक्ता के पीछे और उससे ऊपर फहराया जाना चाहिए ;
- (vi) जब झंडा किसी दीवार के सहारे, पट्ट और टेढ़ा फहराया जाए तो केसरिया भाग सबसे ऊपर रहना चाहिए और जब वह लम्बाई में खड़ा करके फहराया जाए, तो केसरी भाग झंडे के हिसाब से दाईं ओर होगा (अर्थात् यह झंडे को सामने से देखने वाले व्यक्ति के बाईं ओर होगा)

- (vii) जहां तक सम्भव हो उस सीमा तक एक निर्धारित आकार के झंडे को प्रदर्शित किया जाए और जहां तक सम्भव हो झंडे की लम्बाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए।
- (viii) किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर या बराबर नहीं लगाया जाएगा और न ही पुष्प अथवा माला या प्रतीक सहित अन्य कोई दूसरी वस्तु उस ध्वज-दंड के ऊपर रखी जाएगी जिस पर झंडा फहराया जाता है।
- (ix) झंडे का इस्तेमाल सजावट के लिए बन्दनवानर गुच्छे अथवा पताका के रूप में या इसी प्रकार के किसी कामों के लिए नहीं किया जाएगा।
- (x) पेपर से बने झंडे का प्रयोग जनता द्वारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों, संस्कृति और खेलकूद स्पर्धा पर फहराया जा सकता है। परन्तु ऐसे कागज के झंडों को समारोह पूरा होने पश्चात् न तो विकृत किया जाएगा और न ही जमीन पर फेंका जाएगा। जहां तक सम्भव हो, ऐसे झंडों का निपटान पूरे गौरव के साथ और निजी तौर पर किया जाएगा।
- (xi) जहां झंडे को खुले में फहराया जाना हो, जहां तक हो सके, उसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक मौसम संबंधी परिस्थितियों का ख्याल किए बिना फहराया जाना चाहिए।
- (xii) झंडे को इस तरह से फहराया या बांधा न जाए जिससे कि वह क्षतिग्रस्त हो, और
- (xiii) जब झंडा क्षतिग्रस्त या खराब हो जाए तो उसे पूरी तरह से एकान्त में और अधिमान्यतः जलाकर या ऐसा कोई तरीका अपनाकर पूर्णतया नष्ट कर दिया जाए जिससे उसकी गरिमा बनी रहे।

धारा II

2.3 स्कूलों में राष्ट्रीय झंडा फहराने, उसका अभिवादन करने तथा शपथ लेने आदि के संबंध में निम्नलिखित आदर्श अनुदेशों का पालन किया जाए :-

- (i) स्कूल के विद्यार्थी एक खुले वर्ग की आकृति बनाकर इकट्ठे होंगे, जिसकी तीन भुजाओं पर विद्यार्थी खड़े होंगे और चौथी भुजा के बीच में ध्वज-दंड होगा। प्रधानाध्यापक, मुख्य छात्र और झंडे को फहराने वाला व्यक्ति (यदि वह प्रधानाध्यापक के अलावा कोई दूसरा हो) झंडे के डंडे से तीन कदम पीछे खड़े होंगे।
- (ii) छात्र कक्षाक्रम से दस-दस के दल में (अथवा कुल संख्या के अनुसार किसी दूसरे हिसाब से) खड़े होंगे। ये दल एक के पीछे एक रहेंगे। कक्षा का मुख्य छात्र अपनी कक्षा की पहली पंक्ति की दाईं और खड़ा होगा और कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा की अंतिम पंक्ति से तीन कदम पीछे बीच की ओर खड़ा होगा। कक्षाएं वर्ग की आकृति बनाते हुए इस प्रकार खड़ी होंगी कि सबसे ऊंची कक्षा दाईं ओर रहे और बाद में उतरते क्रम से अन्य कक्षाएं आएँ।
- (iii) हर पंक्ति के बीच कम से कम एक कदम (30 इंच) का फासला होना चाहिए और इतना ही फासला हर कक्षा के बीच में होना चाहिए।
- (iv) जब हर कक्षा तैयार हो जाए, तो कक्षा का नेता आगे बढ़कर स्कूल के चुने हुए छात्र-नेता का अभिवादन करेगा। जब सारी कक्षाएं तैयार हो जाएँ, तो स्कूल का छात्र-नेता प्रधानाध्यापक की ओर बढ़कर उनका अभिवादन करेगा। प्रधानाध्यापक अभिवादन का उत्तर देगा। इसके बाद झंडा फहराया जाएगा। इसमें स्कूल का छात्र नेता सहायता कर सकता है।
- (v) स्कूल का छात्र-नेता जिसे परेड (या सभा) का भार सौंपा गया है, झंडा फहराने के ठीक पहले परेड को सावधान (अटेंशन) हो जाने की आज्ञा देगा और झंडे के लहराने पर अभिवादन करने की आज्ञा देगा। परेड कुछ देर तक अभिवादन की अवस्था में रहेगी और फिर "आर्डर" का आदेश पाने पर सावधान (अटेंशन) अवस्था में आ जाएगी।
- (vi) झंडा अभिवादन के बाद राष्ट्रगान होगा। इस कार्यक्रम के दौरान परेड सावधान (अटेंशन) अवस्था में रहेगी।

(vii) शपथ लेने के सभी अवसरों पर शपथ राष्ट्रगान के बाद ली जाएगी। शपथ लेने के समय सभा सावधान (अटेंशन) अवस्था में रहेगी। प्रधानाध्यापक औपचारिक रूप से शपथ दिलाएंगे और सभा उनके साथ-साथ शपथ दोहराएगी।

(viii) स्कूलों में राष्ट्रीय झंडे के प्रति निष्ठा की शपथ लेते समय निम्नलिखित कार्यविधि अपनाई जाएगी :-

हाथ जोड़कर खड़े हुए सभी लोग निम्नलिखित शपथ दोहराएंगे :-

“मैं राष्ट्रीय झंडे और उस लोकतंत्रात्मक गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेता/लेती हूँ जिसका यह झंडा प्रतीक है।”

भाग III

केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और एजेंसियों द्वारा
राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाना/प्रदर्शन

धारा I

रक्षा प्रतिष्ठानों/मिशनो/पोस्टों के प्रमुख

3.1 इस भाग के उपबंध उन रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए लागू होंगे जिनके राष्ट्रीय झंडे को फहराए जाने के संबंध में अपने स्वयं के नियम विद्यमान हैं।

3.2 राष्ट्रीय झंडा विदेश स्थिति उन मिशनो/पोस्टों के प्रमुखों के मुख्यालयों और आवासों पर फहराया जा सकता है जहां राजनयिक और कौंसुलर प्रतिनिधियों के लिए अपने मुख्यालयों तथा अपने सरकारी आवासों पर अपने राष्ट्रीय झंडों को फहराए जाने की प्रथा है।

धारा II

झंडे का सरकारी तौर पर फहराया जाना

3.3 उक्त धारा I में दिए गए उपबंधों के अध्यक्षीन सभी सरकारों तथा उनके संगठनों/एजेंसियों के लिए इस भाग में दिए गए उपबंधों का पालन करना अनिवार्य होगा।

3.4 जब कभी झंडा सरकारी तौर पर फहराया जाए तो सिर्फ झंडा काम में लाया जाएगा जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप हो और जिस पर ब्यूरो का मानक चिह्न लगा हो। दूसरे अवसरों पर भी अच्छा यही है कि उपयुक्त आकार के ऐसे ही झंडे फहराए जाएं।

धारा III

झंडा फहराने का सही तरीका

3.5 जब भी झंडा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए और उसे ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां यह साफ-साफ दिखाई दे सके।

3.6 जहां किसी सार्वजनिक इमारत पर झंडा फहराने की प्रथा है उस भवन पर यह रविवार और छुट्टियों सहित सभी दिनों में फहराया जाएगा और इस संहिता में निहित व्यवस्था को छोड़कर इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाएगा, चाहे मौसम कैसा भी क्यों न हो। ऐसे भवन पर रात को भी झंडा फहराया जा सकता है किन्तु ऐसा बहुत ही विशेष अवसरों पर किया जाना चाहिए।

3.7 झंडे को सदा तेजी के साथ ऊपर चढ़ाया जाएगा, और धीरे-धीरे एवं आदर के साथ नीचे उतारा जाए। यदि झंडे को ऊपर चढ़ाते समय और नीचे उतारते समय बिगुल भी बजाया जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि झंडे को बिगुल की आवाज के साथ ही ऊपर चढ़ाया या नीचे उतारा जाए।

- 3.8 यदि झंडा इमारत के अगले हिस्से या बालकनी या खिड़की पर आड़े या तिरछे फहराया जाए तो झंडे का केसरी रंगवाला भाग डंडे के उस सिरे की ओर होगा जो खिड़की के छज्जे, बालकनी या अगले हिस्से से सबसे दूर हो।
- 3.9 जब झंडा किसी दीवार के सहारे पट्ट और टेढ़ा फहराया जाए तो केसरी भाग सबसे ऊपर रहेगा और जब वह लम्बाई में खड़ा करके फहराया जाए तो केसरी भाग झंडे के हिसाब से दाईं ओर होगा अर्थात् यह झंडे को सामने से देखने वाले व्यक्ति के बाईं ओर होगा।
- 3.10 यदि झंडा सभा मंच पर फहराया जाए तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि जब वक्ता-श्रोतागण की ओर मुंह करें तो झंडा उनके दाहिनी ओर रहे; वरना झंडे को दीवार के साथ पट्ट स्थिति में वक्ता के पीछे और उससे ऊपर फहराया जाएगा।
- 3.11 किसी मूर्ति के अनावरण जैसे अवसरों पर झंडा महत्व के साथ और अलग से फहराया जाएगा।
- 3.12 यदि झंडा किसी मोटर कार पर अकेले फहराया जाएगा तो उसे कार के सामने दाईं ओर कसकर लगाये हुए एक डंडे (स्टाफ) पर फहराया जाएगा।
- 3.13 किसी जुलूस या परेड़ में ले जाते समय झंडा चलते हुए जुलूस या परेड़ की दाईं ओर अर्थात् स्वयं झंडे की दाहिनी ओर रहेगा या यदि दूसरे झंडों से बनी हुई एक पंक्ति हो तो राष्ट्रीय झंडा उस पंक्ति के बीच की जगह से आगे की ओर होगा।

धारा IV

झंडे का गलत तरीके से फहराया जाना

- 3.14 फटा हुआ या मैला कुचैला झंडा नहीं फहराया जाएगा।
- 3.15 किसी व्यक्ति या वस्तु के अभिवादन के लिए झंडे को नीचे नहीं किया जाएगा।

3.16 किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, और आगे उपबंधित के सिवाय, राष्ट्रीय झंडे के बराबर भी नहीं रखा जाएगा; और न ही कोई दूसरी वस्तु उस ध्वज-दंड के ऊपर रखी जाएगी, जिस पर झंडा फहराया जाता है। इन वस्तुओं में फूल अथवा मालाएं अथवा प्रतीक भी शामिल हैं।

3.17 झंडे का प्रयोग बंदनवार, फीता या झंडियां बनाने या किसी दूसरे प्रकार की सजावट के लिए नहीं किया जाएगा।

3.18 झंडा न तो किसी वक्ता की डेस्क के आवरण के रूप में काम में लाया जाएगा और न ही वक्ता के मंच को ऊपर से ढकने के लिए।

3.19 'केसरी' भाग को नीचे रखकर झंडा नहीं फहराया जाएगा।

3.20 झंडे को जमीन या फर्श को छूने या पानी में घिसटने नहीं देना चाहिए।

3.21 झंडे को इस प्रकार से फहराया या बांधा नहीं जाएगा जिससे कि उसे क्षति पहुंचे।

धारा V

दुरुपयोग

3.22 राज्य/सेना/केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की ओर से किए जाने वाले मृतक संस्कारों के अलावा, जो कि आगे बताए गए हैं, झंडे का प्रयोग किसी भी रूप में लपेटने के लिए नहीं किया जाएगा।

3.23 झंडा किसी गाड़ी, रेल-गाड़ी अथवा नाव के हुड, सिरे, बाजू या पिछले भाग पर नहीं लपेटा जाएगा।

3.24 झंडे का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जाएगा या उसे इस प्रकार नहीं रखा जाएगा कि वह खराब या मैला हो जाए।

3.25 जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे फेंका नहीं जाएगा और न ही सम्मानरहित ढंग से उसका निपटान करना चाहिए, बल्कि झंडे

को एकांत में पूरा नष्ट कर देना चाहिए। इसके लिए उसे जला देना अथवा झंडे के गौरव के अनुरूप किसी दूसरे तरीके को अपनाना अधिक उपयुक्त होगा।

3.26 झंडा किसी इमारत को ढकने के काम में नहीं लाया जाएगा।

3.27 झंडा किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के किसी भाग के रूप में काम में नहीं लाया जाएगा। यह गदियों, रूमालों, बक्सों अथवा नेपकीनों पर काढ़ा या छापा नहीं जाएगा।

3.28 झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे।

3.29 झंडा किसी भी रूप में विज्ञापन के काम में नहीं लाया जाएगा और न ही उस डंडे पर, जिस पर कि झंडा फहराया जाता है, कोई विज्ञापन लगाया जाएगा।

3.30 झंडे को किसी वस्तु को लेने, देने, पकड़ने या ले जाने के लिए आधार के रूप में काम में नहीं लाया जाएगा।

किन्तु विशेष अवसरों तथा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय दिवसों पर समारोहों के एक भाग के रूप में झंडे को फहराए जाने से पूर्व इसके अंदर फूलों की पंखुडियां रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

धारा VI


झंडा अभिवादन

3.31 झंडे को फहराते समय और इसे नीचे लाते समय अथवा झंडे को परेड में या किसी निरीक्षण के अवसर पर ले जाते समय वहां पर उपस्थिति सभी लोग अपना मुख झंडे की ओर रखेंगे और सावधान (अटेंशन) की मुद्रा में खड़े होंगे। वर्दी पहने हुए व्यक्ति उपयुक्त ढंग से अभिवादन करें। जब झंडा चलती हुई पंक्ति के साथ हो तो उपस्थित व्यक्ति सावधान की मुद्रा में खड़े रहें या जब उनके पास गुजरे तो वे उसका अभिवादन करें। विशिष्ट व्यक्ति शिरोवस्त्र (हैड ड्रेस) के बिना भी सलामी ले सकते हैं।

धारा VII

राष्ट्रीय झंडे का दूसरे राष्ट्रों के झंडों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे के साथ फहराया जाना


3.32 यदि राष्ट्रीय झंडा दूसरे राष्ट्रों के झंडों के साथ एक सीधी पंक्ति में फहराया जाए तो उसे सबसे दाईं ओर रखा जाएगा, अर्थात्, यदि कोई पर्यवेक्षक झंडों की पंक्ति के बीच में जनता की ओर मुख करके खड़ा हो तो राष्ट्रीय झंडा उसके बिल्कुल दाईं ओर होगा। यह स्थिति नीचे के चित्र में स्पष्ट की गई है :-




3.33 दूसरे राष्ट्रों के झंडे राष्ट्रीय झंडे के बाद उन राष्ट्रों के अंग्रेजी नामों के वर्ण क्रम के अनुसार रखे जाएंगे। इस स्थिति में झंडे की पंक्ति के शुरु और अन्त में राष्ट्रीय झंडा रखा जा सकता है और साथ ही वहां भी रखा जा सकता है जहाँ वर्णक्रम के अनुसार राष्ट्रों में उसका स्थान स्वाभाविक रूप से आता है। राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले फहराया जाएगा, और सबसे बाद में नीचे उतारा जाएगा।

3.34 यदि झंडों को खुले घेरे में, अर्थात्, वृत्त-खंड (आर्क) या अर्धवृत्त (सेमिसर्कल) में फहराया जाए, तो उसके लिए इस धारा के पिछले खंड में बताई गई क्रियाविधि ही अपनायी जाएगी। यदि झंडे एक पूरा घेरा बनाते हुए फहराए जाते हैं, तो राष्ट्रीय झंडे से घेरे का आरंभ माना जाएगा और दूसरे राष्ट्रों के झंडे घड़ी के अंकों के क्रम में इस प्रकार रखे जाएंगे कि अन्तिम झंडा राष्ट्रीय झंडे के बाजू में आ जाए। झंडों के घेरे का आरंभ और अन्त दर्शाने के लिए अलग-अलग राष्ट्रीय झंडे रखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बन्द घेरे में वर्णक्रम के अनुसार अपने स्थान पर भी राष्ट्रीय झंडे को रखा जाएगा।

3.35 जब राष्ट्रीय झंडा और कोई दूसरा झंडा एक साथ किसी दीवार पर दो ऐसे डंडों पर फहराये जाएं, जो एक-दूसरे को काटते हों, तो राष्ट्रीय झंडा दायीं ओर, अर्थात् झंडे के अपने दाएं की ओर होगा और उसका डंडा दूसरे झंडे के डंडे के ऊपर रहेगा। यह स्थिति नीचे के चित्र में स्पष्ट की गई है :-



3.36 जब संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा राष्ट्रीय झंडे के साथ फहराया जाए तो वह राष्ट्रीय झंडे के किसी भी ओर हो सकता है। सामान्य परम्परा ऐसी है कि राष्ट्रीय झंडे को इस प्रकार फहराया जाता कि उससे सामने की ओर देखने पर वह सबसे दाईं ओर होता है, अर्थात् ध्वज-दंड की ओर मुंह किए हुए दर्शक के बाईं ओर होता है। यह स्थिति नीचे के चित्र में स्पष्ट की गई है :-



3.37 जब राष्ट्रीय झंडा दूसरे झंडों के साथ फहराया जाएगा तो सारे ध्वज-दंड बराबर आकार के होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा के अनुसार शान्ति काल में किसी एक राष्ट्र के झंडे को दूसरे राष्ट्र के झंडे से ऊंचा फहराना वर्जित है।

3.38 राष्ट्रीय झंडा एक ही समय में किसी दूसरे झंडे या झंडों के साथ एक ही ध्वज-दंड से नहीं फहराया जाएगा। अलग-अलग झंडों के लिए अलग-अलग ध्वज-दंड होंगे।

धारा VIII

सार्वजनिक इमारतों / सरकारी आवासों पर झंडा फहराना

3.39 आम तौर से उच्च न्यायालयों, सचिवालयों, कमिश्नरों के कार्यालयों, जिला कचहरियों, जेल तथा जिला मंडल के कार्यालयों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों तथा विभागीय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों जैसी मुख्य सार्वजनिक इमारतों पर ही झंडा फहराना चाहिए।

3.40 सीमान्त क्षेत्रों में सीमा-शुल्क चौकियों, जांच चौकियों (चैकपोस्ट), सीमा चौकियों (आउट पोस्ट) और दूसरी ऐसी खास जगहों पर, जहां कि झंडा फहराने का विशेष महत्व होता है, झंडा फहराया जा सकता है। इसके अलावा, सीमावर्ती गश्ती दलों (बार्डर पेट्रोल) के शिविरों पर भी झंडा फहराया जा सकता है।

3.41 राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज्यपाल, उप राज्यपाल, जब अपने मुख्यालय में हों, तो उनके सरकारी निवास स्थानों पर, और जब वे अपने मुख्यालयों से बाहर दौरे पर हों, तो जिन भवनों में वे निवास करें, उन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना चाहिए। तथापि, सरकारी निवास स्थान पर फहराया गया राष्ट्रीय झंडा, संत्रांत व्यक्ति के मुख्यालय से बाहर जाते ही उतार दिया जाना चाहिए और मुख्यालय में वापस अपने पर उनके उस भवन के मुख्य द्वार से अन्दर प्रविष्ट होते ही राष्ट्रीय झंडा पुनः फहरा दिया जाना चाहिए। जब संत्रांत व्यक्ति मुख्यालय से बाहर किसी स्थान के दौरे पर हों

तो जिस भवन में वे निवास करें, उस भवन के मुख्य द्वार से उनके प्रवेश करते ही उस भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया जाना चाहिए और उनके उस स्थान से बाहर जाते ही राष्ट्रीय झंडा उतार दिया जाना चाहिए। तथापि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह (6 से 13 अप्रैल तक जलियांवाला बाग के शहीदों की स्मृति में), भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय उल्लास के किसी अन्य विशेष दिवस अथवा किसी राज्य के मामले में उस राज्य के गठन की वर्षगांठ के अवसर पर ऐसे सरकारी निवास स्थानों पर राष्ट्रीय झंडा सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए, चाहे संभ्रांत व्यक्ति उन दिनों मुख्यालय में हों या न हों।

3.42 जब राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री किसी संस्था का दौरा करें तो उनके सम्मान के रूप में उस संस्था द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है।

3.43 विदेशी संभ्रांत व्यक्तियों, अर्थात् राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, सम्राट या युवराज या प्रधानमंत्री के दौरे के अवसर पर ऐसी प्राइवेट संस्थाओं द्वारा जो उस संभ्रांत व्यक्ति का स्वागत कर रही हों, और उन सरकारी भवनों पर जहां उस यात्रा के दौरान उस दिन व संभ्रांत व्यक्ति जाने वाले हों, धारा VII में विहित नियमों के अनुसार संबंधित देश के झंडे के साथ राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है।

धारा IX

मोटर कारों पर झंडा फहराया जाना

3.44 मोटर-कारों पर झंडा फहराने का विशेषाधिकार केवल निम्नलिखित व्यक्तियों तक सीमित है :-

- (1) राष्ट्रपति;
- (2) उप-राष्ट्रपति;

- (3) राज्यपाल और उप-राज्यपाल;
- (4) विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों के अध्यक्ष उन देशों में जहां कि वे नियुक्त हों;
- (5) प्रधानमंत्री और अन्य केबिनेट मंत्री;
केन्द्र के राज्यमंत्री और उपमंत्री;
राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री और अन्य केबिनेट मंत्री;
राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के राज्य मंत्री और उप मंत्री;
- (6) अध्यक्ष, लोक सभा;
उपाध्यक्ष, राज्य सभा;
उपाध्यक्ष, लोक सभा;
राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष;
राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विधान सभाओं के अध्यक्ष;
राज्यों में विधान परिषदों के उपाध्यक्ष;
राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विधान सभाओं के उपाध्यक्ष;
- (7) भारत के मुख्य न्यायाधिपति;
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश;
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति;
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश ।

3.45 पेरोग्राफ 3.44 के खंड (5) से (7) तक में उल्लिखित संग्रान्त व्यक्ति, जब कभी आवश्यक या उचित समझें, अपनी कारों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हैं ।

3.46 जब कोई विदेशी संग्रान्त व्यक्ति सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कार में यात्रा करे, तो राष्ट्रीय झंडा कार के दाईं ओर फहराया जाएगा और संबंधित दूसरे देश के व्यक्ति का झंडा कार के बाईं ओर फहराया जाएगा ।

धारा X

रेल गाड़ियों / वायुयानों पर झंडा फहराया जाना

3.47 जब राष्ट्रपति देश के अंदर ही विशेष रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करें तो जिस स्टेशन से गाड़ी रवाना हो वहां के प्लेटफार्म की ओर ड्राइवर के कैबिन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय झंडा केवल तभी फहराया जाए जबकि वह विशेष गाड़ी रूकी हुई हो या उस स्थान पर पहुंचने वाली हो जहां उसे रुकना है।

3.48 राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा करते समय उनके विमान पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा। जिस देश कि यात्रा की जा रही है उसका झंडा भी राष्ट्रीय झंडे के साथ-साथ फहराया जाना चाहिए, परन्तु मार्ग में जब किन्हीं देशों में विमान उतरें, तो शिष्टाचार और सद्भावना के नाते उसके स्थान पर उन-उन देशों के झंडे फहराए जाएंगे जहां-जहां विमान उतरे।

3.49 जब राष्ट्रपति देश में ही कहीं दौरे पर जाएं तो राष्ट्रीय झंडा वायुयान के उस ओर फहराया जाएगा जिस ओर से राष्ट्रपति विमान में चढ़ें या उससे उतरें।

धारा XI

झंडे को झुकाना

3.50 निम्नलिखित संभ्रांत व्यक्तियों के देहान्त की स्थिति में उनके देहान्त के दिन उनके नाम के सामने उल्लिखित स्थानों पर राष्ट्रीय झंडा झुका दिया जाएगा:

| संभ्रांत व्यक्ति | स्थान |
|---|--|
| राष्ट्रपति उप-राष्ट्रपति प्रधानमंत्री | संपूर्ण भारत |
| लोक सभा के अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधिपति | दिल्ली |
| केन्द्रीय केबिनेट मंत्री | दिल्ली और राज्यों की राजधानियां |
| केन्द्र के राज्य मंत्री और उप मंत्री | दिल्ली |
| राज्यपाल उप-राज्यपाल राज्यों के मुख्यमंत्री संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री | संबंधित संपूर्ण राज्य या संघ शासित क्षेत्र में |
| किसी राज्य के केबिनेट मंत्री | संबंधित राज्य की राजधानी |

3.51 यदि किसी संभ्रांत व्यक्ति की मृत्यु की सूचना अपराहन में प्राप्त हो तो ऊपर बताए गए स्थान या स्थानों पर उससे दूसरे दिन भी झंडे झुका दिए जाएंगे, बशर्ते कि उस दिन सूर्योदय से पूर्व अंत्येष्टि न कर दी गई हो।

3.52 उक्त संभ्रांत व्यक्ति की अंत्येष्टि के दिन, उस स्थान पर जहां अंत्येष्टि की जानी हो, झंडे झुका दिये जाएंगे।

3.53 यदि किसी संभ्रांत व्यक्ति की मृत्यु पर राजकीय शोक मनाया जाना हो तो केन्द्रीय संभ्रांत व्यक्ति के मामले में सारे भारतवर्ष में और किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति के मामले में संबंधित पूरे राज्य या पूरे संघ शासित क्षेत्र में पूरी शोकावधि के दौरान झंडे झुके रहेंगे।

3.54 विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों की मृत्यु पर झंडे झुकाये जाने और जहां आवश्यक हो राजकीय शोक मनाये जाने के संबंध में वे विशेष अनुदेश लागू होंगे जो कि प्रत्येक मामले में गृह मंत्रालय द्वारा समस-समय पर जारी किये जाएंगे।

3.55 उपर्युक्त उपबंधों के होते हुए भी, यदि झंडे को झुकाने का दिन और गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह (6 से 13 अप्रैल तक जलियांवाला बाग के शहीदों की स्मृति में), भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय उल्लास का कोई अन्य विशेष दिवस अथवा किसी राज्य के मामले में उस राज्य के गठन की वर्षगांठ का दिन एक साथ पड़ते हैं तो उस भवन के अलावा जहां मृतक का शव रखा हुआ हो, अन्य स्थानों पर झंडे नहीं झुकाये जाएंगे और उस भवन में भी जहां शव रखा गया हो उस समय तक झंडा झुका रहेगा जब तक कि शव वहां से उठाया नहीं जाता है और शव के उठाये जाने के बाद उस भवन पर भी झंडा ऊंचा उठा दिया जाएगा।

3.56 यदि शोक झंडा ले जाते हुए परेड या जुलूस के रूप में मनाया जाना हो तो भाले के अग्र भाग में काले कपड़े (क्रेप) की दो पताका लगा दी जाएंगी जो कि स्वाभाविक रूप से लटकी रहेंगी। इस प्रकार के काले कपड़े (क्रेप) का प्रयोग सरकार के आदेश से ही हो सकेगा।

3.57 झंडा झुकाए जाते समय झंडा कुछ क्षण के लिए बिल्कुल ऊंचाई पर फहराया जाएगा और तब झंडे को नीचे लाया जाएगा किन्तु दिन-भर के बाद शाम को झंडा उतारने से पूर्व उसे एक बार फिर ऊपर तक उठाया जाएगा।

टिप्पणी : झंडा आधा झुकाए जाने (हाफ-मास्ट) से तात्पर्य है झंडे को चोटी तथा 'गाई लाईन' के बीच आधे तक नीचे लाया जाना और 'गाई लाइन' न होने की अवस्था में झंडे को उंडे (स्टाफ) के आधे हिस्से तक झुकाया जाना।

3.58 राजकीय/सैनिक/केन्द्री अर्द्ध सैनिक बलों के सम्मान से युक्त अंत्येष्टि के अवसरों पर शवपेटिका या अर्धी झंडे से ढक दी जाएगी और झंडे का केसरिया भाग अर्धी या शवपेटिका के अग्रभाग की ओर रहेगा। झंडे को कब्र में दफनाया या चिता में जलाया नहीं जाएगा।

5.59 विदेशों के राष्ट्राध्यक्षों या विदेशी सरकारों के अध्यक्षों की मृत्यु के समय उस देश में प्रत्यायित भारतीय दूतावास राष्ट्रीय झंडे को झुका सकता है चाहे वह घटना गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह (6 से 13 अप्रैल तक जलियांवाला बाग के शहीदों की स्मृति में) अथवा भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय उल्लास के किसी अन्य विशिष्ट दिन को ही हुई हो। उस देश के किसी अन्य संभ्रांत व्यक्ति की मृत्यु की अवस्था में दूतावासों को झंडा नहीं झुकाना चाहिए जब तक कि वहां कि स्थानीय प्रथा या शिष्टाचार (जिसका पता, जहां-कहीं भी आवश्यक हो, राजनयिक कोर के अधिष्ठाता डीन ऑफ दि डिप्लोमेटिक कोर से लगाया जाना चाहिए) के अनुसार उस देश में विदेशी दूतावास के राष्ट्रीय झंडे को भी झुकाना अपेक्षित न हो।

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971
1971 की संख्या 69 (23 दिसम्बर, 1971)

(राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित)

2005 की संख्या 51 (20 दिसम्बर, 2005)

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण के लिए एक अधिनियम

इसे संसद द्वारा भारतीय गणतंत्र के बाइसवें वर्ष में निम्न प्रकार से अधिनियमित किया जाए:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार

- (1) यह अधिनियम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 कहलाएगा।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा।

2. भारतीय राष्ट्रीय झंडे तथा भारतीय संविधान का अपमान

कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या अन्यथा उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या (मौखिक या लिखित शब्दों में, या कृत्यों द्वारा) अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास से, या जुमनि से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1- भारत के संविधान में संशोधन करने या विधिसम्मत तरीके से भारतीय राष्ट्रीय झंडे में परिवर्तन करने की दृष्टि से सरकार के किसी उपाय की आलोचना या अस्वीकृति व्यक्त करते हुए की गई कोई टिप्पणी इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं बनती।

स्पष्टीकरण 2- 'भारतीय राष्ट्रीय झंडे' की अभिव्यक्ति में कोई भी तस्वीर, पेंटिंग, ड्राईंग या फोटोग्राफ या भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग या भागों का अन्य स्पष्ट चित्रण जो किसी पदार्थ से बना हो या पदार्थ पर दर्शाया गया हो, शामिल है।

स्पष्टीकरण 3- 'सार्वजनिक स्थान' की अभिव्यक्ति के अर्थ में ऐसा कोई स्थान जो जनता द्वारा उपयोग के लिए हो अथवा जहां जनता की पहुंच हो और इसमें कोई भी सार्वजनिक वाहन शामिल है।

*स्पष्टीकरण 4- भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अपमान का अर्थ निम्नलिखित होगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

- (क) भारतीय राष्ट्रीय झंडे का घोर अपमान या अनादर करना; या
- (ख) किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे को झुकाना; या
- (ग) सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार जिन अवसरों पर सरकारी भवनों पर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को आधा झुकाकर फहराया जाना हो, उन अवसरों के सिवाय झंडे को आधा झुकाकर फहराना; या
- (घ) राजकीय अंत्येष्टियों या सशस्त्र सैन्य बलों या अन्य अर्धसैनिक बलों की अंत्येष्टियों को छोड़कर झंडे का किसी अन्य रूप में लपेटने के लिए प्रयोग करना; या
- (ङ) #भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का,
- (i) किसी भी प्रकार की ऐसी वेषभूषा, वर्दी या उपसाधन के, जो किसी व्यक्ति की कमर से नीचे पहना जाता है, किसी भाग के रूप में, या
- (ii) कुशनों, रुमालों नैपकिनों, अधोवस्त्रों या किसी पोशाक सामग्री पर कशीदाकारी या छपाई करके, उपयोग करना; या
- (च) भारतीय राष्ट्रीय झंडे पर किसी प्रकार का उत्कीर्णन करना; या
- (छ) गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस सहित विशेष अवसरों पर समारोह के एक अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखे जाने के सिवाय भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने या ले जाने वाले पात्र के रूप में प्रयोग करना; या
- (ज) किसी प्रतिमा या स्मारक या वक्ता की मेज या वक्ता के मंच को ढकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग करना; या
- (झ) जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को जमीन या फर्श से छूने देना या पानी पर घसीटने देना; या
- (ञ) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वाहन, रेलगाड़ी, नाव या किसी वायुयान या ऐसी किसी अन्य वस्तु के हुड, टाप और बगल या पिछले भाग पर लपेटना, या
- (ट) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए प्रयोग करना; या
- (ठ) जानबूझकर 'केसरी' पट्टी को नीचे रखकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराना।

3. राष्ट्रीय गान के गायन को रोकना

जो कोई व्यक्ति जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय गान को गाए जाने से रोकता है या ऐसा गायन कर रही किसी सभा में व्यवधान पैदा करता है उसे तीन वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

* 3क दूसरी बार के या बाद के अपराध के लिए न्यूनतम दंड

जो कोई व्यक्ति, जिसे धारा 2 या धारा 3 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध ठहराया गया हो, ऐसे किसी अपराध के लिए फिर से दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो उसे दूसरी बार के या उसके बाद के हर बार के अपराध के लिए कम से कम एक वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकेगा।

नोट 1 : * राष्ट्रीय गौरव निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 31, दिनांक 8.5.2003) के तहत जोड़ा गया।

नोट 2 : #राष्ट्रीय गौरव निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 की संख्या 51, दिनांक 20.12.2005) के तहत जोड़ा गया।